भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3352

13.03.2020 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3352. श्री इंद्रा हांग सुब्बा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषण को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार, पीएम 2.5 और पीएम 10 के संकेंद्रण को कम करने के अपने लक्ष्य में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो नए संशोधित/उन्नत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और नए लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का वर्तमान कार्यान्वयन किस प्रकार प्रभावित होगा;

(घ) क्या डीजल जनरेटर (डीजी) को पीएम प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसका योगदान कुल प्रदूषण का 7-18 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने सभी परिचालनशील डीजी सेटों पर उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को लगाने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या एनजीटी के आदेश को मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों और जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2024 तक पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ के संकेंद्रणों को 20% से 30% तक कम करने के लक्ष्य के साथ दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरु किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निदेशों के अनुसरण में एनसीएपी के लक्ष्यों पर वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में पुन: विचार किया गया है तथा आरंभ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए बरकरार रखना प्रस्तावित है।

मानकों को पूरा न करने वाले सभी शहरों में बुनियादी कार्यान्वयन हेतु शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। एनसीएपी के समग्र मार्ग-दर्शन, नीति प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। सीपीसीबी, इन शहर विशिष्ट कार्य योजनाअें के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) से (च) देश में प्रमुख वायु प्रदूषण स्रोतों तथा परिवेशी वायु प्रदूषण स्तरों में उनके योगदान का पता लगाने के लिए अनेक अध्ययन कराए गए हैं। विविक्त कण के प्रमुख स्रोत सड़क की अस्थायी धूल, वाहन, बायोमास/कचरा जलाना, निर्माण-कार्य, उद्योग, डीजी सेट इत्यादि हैं। उक्त अध्ययनों के आधार पर यह पता चलता है कि विविक्त कणों में डीजी सेट का योगदान 3-18% के बीच है।

एनजीटी के निदेशों के अनुसरण में जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शहरों सहित मानकों को पूरा न करने वाले शहरों के संबंध में शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के तहत उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के साथ डीजी सेट की रेट्रो फिटिंग का कार्य शामिल किया गया है।

*****